कार्यपालक दंडाधिकारी का न्यायालय, बुन्डू (राँची)

वाद सं० 64/13 [U/S 145 CrPC]
चरण महली वगै० बनाम राधा महली वगै०

आदेश

09.11.17

प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर विवादी भूमि ग्राम- लोण्डरा थाना-तमाड़ पर उत्पन्न भूमि विवाद से उत्पन्न शांति भंग की सम्भावना के मद्देनजर उभय पक्षो के विरुद्ध धारा 145 CrPC अन्तर्गत कार्यवाही 11.6.13 को प्रारंभ की गई विवादी भूमि की विवरणी निम्नवत है -

मौजा - लोण्डरा, थाना - तमाड़, जिला - राँची

खाता नं० 23
खेसरा नं० 590
रकवा - 1.06 एकड़ मध्ये 35 डी०
चौहद्दी यथावर्णित N - रमन सिंह S - बुधन मुन्डा E - अधनु महली W - अर्जुन महली

खाता नं० 25
खेसरा नं० 519
रकवा 5.81 एकड़ मध्ये 1.93 ए०
चौहद्दी यथावर्णित N - विपक्षी S - प्रथम पक्ष E - महावीर महली W - परासी सीमाना

खाता नं० 26
खेसरा नं० 454
रकवा - 2.32 ए० मध्ये 77 डी०
चौहद्दी यथावर्णित N - अर्जुन महली S - वकील मुन्डा E - सतिया नाला W - विपक्षी

उभय पक्षो को तदनुसार नोटीस निर्गत कर लिखित कथन दाखिल करने का निदेश दिया गया तथा अंचलाधिकारी तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल कर गवाही दर्ज कराई।

प्रथम पक्ष के कथनानुसार उभय पक्ष खतियानी रैयत गुरुवा महली पि० पवन महली वगै० के वंशज है तथा अपने पूर्वजो के बीच मौखिक बंटवारा से पैतृक भूमि मे मिले हिस्से मे पूर्वजो से शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा है तथा संगत न्याय तथा हक पाना चाहते है। विपक्षी उनके हिस्से को विवादित कर बंडा पर्चा से दावा करते है। साथ ही विपक्षी अपने पूर्वज रूपा बांस महली को किये गये निबंधित पट्टा दिनांक 18.4.1944 से प्राप्त भूमि के आधार पर बेवजह विवाद किया जा रहा है जबकि उक्त भूमि का दाखिल खारिज अबतक नहीं हो सका है तथा संयुक्त रसीद सोनाराम महली वगै० के नाम से निर्गत हो रहा है। प्रश्नगत विवादी भूमि पर अपने दखल के सम्बन्ध मे प्रथम पक्ष का कथन है कि ग्राम पंचायत कचहरी इचाडीह द्वारा दिनांक 12.9.96 को पारित आदेश के तहत खाता नं० 23, plot 590 रकवा 35 डी० तथा खाता नं० 26 के plot no 454 के रकवा 77 डी० भूमि पर प्रथम पक्ष की हिस्से की भूमि पाई गई जिसपर विपक्षी विवाद नहीं करेगा परन्तु विपक्षी नहीं मानते। इसी प्रकार ग्राम प्रधान लोण्डरा (मानकीडीह) के आदेश दिनांक 23.9.12 मे विवादी भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल है परन्तु विपक्षी के समझौता ना करने की स्थिति मे सक्षम पदाधिकारी के पास जाने की अनुमति दी गई। अपने कथन के समर्थन मे प्रथम पक्ष के ओर से प्रश्नगत खाता सं० 23, 25, 26 के खतियान की प्रति, निर्गत रसीद तथा इचाडीह ग्राम पंचायत कचहरी द्वारा दिनांक 12.9.96 को पारित आदेश, निबंधित पट्टा दिनांक 18.4.44 की प्रति दाखिल की है।

विपक्षी के कथनानुसार प्रश्नगत विवादी भूमि उभय पक्षो के संयुक्त खाता की सम्पत्ति है तथा आपसी बंटवारा पूर्वज के समय से होकर अपने हिस्से में दखलकार होकर विपक्षी खेती किये है। प्रथम पक्ष के पूर्वज सहदेव बांस महली एवं गुरुवा महली ने अपने हिस्से की जमीन को निबंधित पट्टा दिनांक 18.4.1944 से विपक्षी के पूर्वज रूपा बांस महली को बिक्री कर दिया। प्रश्नगत भूमि का बंडा पर्चा विपक्षी के हित मे नि...

निर्गत हुआ है। प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित धारा 144 CrPC अन्तर्गत संचालित वाद सं 132/12 संयुक्त सम्पत्ति होने के आधार पर बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त कर दिया गया था। प्रथम पक्ष चरण महली वगै० ने विपक्षी- अर्जुन महली वगै० पर मुंसिफ न्यायालय राँची मे बँटवारा वाद सं 25/2017 दायर किया है, तथा इस तरह यह वाद चलने योग्य नही है। अपने कथन के समर्थन में द्वितीय पक्ष की ओर से प्रश्नगत विवादी खाता सं 23, 25, 26 के खतियान की प्रति वाद सं 132/12 मे पारित आदेश दिनांक 18.12.12, निर्गत रसीद (08), विपक्षी के हित मे निर्गत वंश पर्चा, deed of Mortgage दिनांक 14.5.95, मुंसिफ राँची के न्यायालय से इस वाद के विपक्षीयों को बँटवारा वाद सं 25/2017 मे निर्गत नोटीशों की प्रति (05), वाद से सम्बन्धित पारित न्यायादेश की प्रति यथा- Sana Banal & Ors VS S.B. Mohanti [2005(1) JCR 514 (Ori)] Ram Sumer Puri Mahant VS State of U.P & others AIR 1985 SC 472 : 1985 East Cr.C 444 (SC), Amresh Tiwari VS Lalta Pd Dubey & others [2000 East Cr.C 667 (SC)] Afma Singh & others VS State of Bihar [2000 East Cr.C (Pat)] दाखिल किया है।

प्रस्तुत कार्यवाही के दौरान प्रथम पक्ष की ओर से तीन गवाह - विश्वनाथ महली, जीतु सिंह मुण्डा तथा लालदेव महली ने बयान दर्ज कराया जबकि विपक्षी की ओर से अर्जुन महली, गुरुवारी देवी, तथा सहजा महली- ने गवाही दी है।

प्रथम पक्ष के प्रथम गवाह विश्वनाथ महली ने अपने बयान मे कहा कि उभय पक्षों को जानते है तथा विवाद भूमि को लेकर है विवाद तीन प्लॉट पर है। इटकी पंचायत में प्रथम पक्ष के हित मे आदेश दिया है तथा विपक्षी विवाद कर रहे है। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा कि प्रथम पक्ष ने केस किया है। विपक्षी ने भूमि नही क्रय किया है, रसीद निर्गत होता है।

प्रथम पक्ष के दूसरे गवाह जीतु सिंह मुण्डा ने विवादी भूमि Plot 590 के रकबा 1.06 ए० मध्ये 35 डी०, प्लॉट 519 के रकबा 5.81 ए० मध्ये 1.93 ए० तथा प्लॉट 454 के रकबा 2.32 ए० मध्ये 77 डी० भूमि जो मौजा - लोवहरा पर विवाद बताया। विवादी भूमि बँटवारा मे प्रथम पक्ष को मिला तथा पूर्वज से ही दखल कब्जा है। विपक्षी का हक नही है। इटकी पंचायत का फैसला प्रथम ने माना। जबकि विपक्षी जबर दस्ती जा रहे है। रसीद सोनाराम महली के नाम से कटता है। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा कि चरण महली, राधा महली गोयाद है, विवादी भूमि पर प्रथम पक्ष को हिस्सा मिला है।

प्रथम पक्ष के तीसरे गवाह लालदेव महली है। अपने बयान मे कहा कि विवादी भूमि / चौहद्दी जानते है। प्रथम पक्ष का पार्टी पूर्वजो मे बँटवारा के समय से प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है मैयशी सम्बन्ध है। ग्राम पंचायत इटकी का फैसला प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है 12.9.96 को हुआ। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा कि द्वितीय पक्ष से हिस्सा बँटवारा का केस किये है। मौखिक बँटवारा पूर्वजो के बीच हुआ था। मालगुजारी रसीद सोनाराम महली वगैरह के नाम से सम्मिलात रूप से कटता है, वर्तमान मे मेरा हक है। विपक्षी अपने हिस्से मे जोतते है।

द्वितीय पक्ष के ओर से प्रथम गवाह अर्जुन महली ने अपने बयान मे कहा कि विवादी भूमि पर विपक्षी जोत कोड करता है इस वर्ष राहर, गोंदा की खेती किया है विपक्षी। रसीद सोनाराम महली वगै० के नाम से कटता है। सहदेव महली बेचा है, रूपा महली लिया है। अपने प्रति- परीक्षण मे कहा कि विवादित भूमि द्वितीय पक्ष ने लिया है इसलिए खेती करते है। दोनो पक्षों मे बँटवारा हो चुका है।

P.T.O.

द्वितीय पक्ष के ओर से दूसरे गवाह गुरुवारी देवी ने अपने बयान में कहा कि विपक्षी ने गोड़ा धान तथा दाल की खेती किया है दस वर्ष। जमीन सहदेव के नाम रुपा ने लिया है। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा कि विवादी भूमि पर मेरे परिवार को हिस्सा नही मिला है। डयाडीह पंचायत मे केस के बारे मे नही मालूम है।

विपक्षी की ओर से तीसरे गवाह सहजा महली (पार्टी बयान) ने अपने बयान मे कहा कि विवादी भूमि निबंधित पट्टा से मेरे बाप रुपा बीस महली ने सहदेव महली से 18.4.1944 से लिया है। दखल द्वितीय पक्ष का है दोन मे धान की खेती तथा गोंड़ मे सहर दाल की खेती है। (सौद) सोनाराम महली के नाम से करता है। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा कि ग्राम पंचायत के फैसले की जानकारी नही है। उभय पक्ष का सम्मिलात खाता है। प्रथम पक्ष के दखल नही है। अपनी जमीन पर विपक्षी ने खेती किया है।

उभय पक्ष के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने बहस मे कहा गया कि प्रश्नगत विवादी भूमि पैतृक सम्पति मे बंटवारा से प्राप्त अपने हिस्से पर पूर्वजो के समय से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है। वर्ष 1996 मे ग्राम पंचायत डयाडीह के द्वारा विवादी खाता न० 23 के plot 590 के रकवा 35 डी० तथा खाता न० 26 के plot 454 के रकवा 77 डी० पर प्रथम पक्ष का दखल पाकर विपक्षी को विवाद नही करने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार ग्राम प्रधान - लोधरा (मानकीडीह) द्वारा वर्ष 2012 को पारित आदेश मे प्रश्नगत विवादी भूमि खाता न० 23 के plot 590 रकवा 35 डी०, खाता न० 26 के plot no 454 के रकवा 77 डी० सहित अन्य भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल पाया है। विपक्षी ~~निबंधित पट्टा~~ दिनांक 18.4.1944 से क्रय की गई भूमि से दखल का दावा करते है जबकि उक्त क्रय की गई भूमि का दाखिल खारिज अबतक स्वीकृत नही हुआ है तथा उक्त पट्टा से क्रय की गई भूमि विवादी भूमि नही है। विपक्षी को निर्गत रसीद पर्चा मान्य नही है क्योंकि सर्वे का कार्य पूर्ण नही हुआ है। गवाहो के बयान से प्रथम पक्ष के दखल कब्जा प्रदर्शित होती है।

विपक्षी के ओर से बहस मे कहा गया कि उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है तथा विवादी भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। पूर्वजो के बीच हुए बंटवारा मे मिले अपने-अपने हिस्से पर दखलकार रहकर विपक्षी खेती किये है। इसी क्रम में विपक्षी के पूर्वज रुपा बीस महली ने प्रथम पक्ष के पूर्वज सहदेव बीस महली से निबंधित पट्टा दिनांक 18.4.1944 से क्रय किया है। प्रश्नगत विवादी सहित अन्य भूमि का मालगुजारी सोनाराम महली वगै० के नाम से सम्मिलात करता है। द्वितीय पक्ष के ओर से अपने बहस मे कहा गया कि प्रथम पक्ष ने अपने दखल के समर्थन मे वर्ष 1996 मे डयाडीह पंचायत द्वारा पारित निर्णय तथा वर्ष 2012 मे ग्राम प्रधान लोधरा (मानकीडीह) को आधार बनाया है जो कि धारा 145 crpc अर्न्तगत विचाराधीन दखल के बिन्दु पर संचालित वाद मे निर्णय पारित करने हेतु यथोचित नही है क्योंकि वाद की कार्यवाही 11.6.2013 को प्रारम्भ की गई है। बहस के क्रम में यह विपक्षी की ओर से इंगित किया गया कि ग्राम पंचायत डयाडीह द्वारा →

(Contd- 4)

पारित आदेश में प्रश्नगत विवादी भूमि के खाता नं० 23, Plot 590 के रकबा 77 डी० पर प्रथम पक्ष के रकबा डी० तथा खाता नं० 26 के plot 454 के रकबा 77 डी० पर प्रथम पक्ष के दखल को वर्ष 1996 में पाया गया जबकि खाता नं० 25 के plot 519 के रकबा 1.93 ए० पर किस पक्ष का दखल है, यह अंकित नहीं है। इस क्रम में अंचलाधिकारी तमाड़ के कार्यालय पत्रांक 555 दिनांक 02.11.13 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं० 23, plot 590 तथा खाता नं० 26 के plot 454 की भूमि पर खेती आबादी नहीं है, परती पाया गया है। जबकि खाता नं० 25 के plot no 519 के रकबा 5.81 ए० में से एक एकड़ भूमि पर वादी (आवेदक) का धान का फसल है जबकि शेष भूमि पर राधामहली (विपक्षी) वगैरह का फसल है। विपक्षी की ओर से अपने बहस में कहा गया कि प्रथम पक्ष ने विपक्षीगण पर मुंसिफ न्यायालय, रांची में बंटवारा वाद सं 25/2017 दायर किया है जिसमें विवादी भूमि सहित अन्य भूमि भी सन्निहित है। मुंसिफ न्यायालय, रांची से निर्गत नोटिस इस वाद से सम्बन्धित विपक्षीयों को हस्तगत हो चुकी है तथा मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है। विपक्षी की ओर से दाखिल पारित न्यायादेश की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बहस में कहा गया कि उभय पक्षों के बीच संयुक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित बंटवारा वाद 25/17 सक्षम सिविल न्यायालय रांची में लम्बित/विचाराधीन है, तो धारा 145 CrPC के तहत उक्त संचालित कार्यवाही में कोई स्पष्ट निर्णय पारित करना यथोचित नहीं है।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन, दाखिल कागजातों, High Court/Supreme Court द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों, अंचलाधिकारी तमाड़ से प्राप्त अद्यतन जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। गवाहों द्वारा दर्ज कराई गई बयान का परीशीलन किया गया तथा उभय पक्ष का बहस सुना तथा लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादी भूमि उभय पक्ष के संयुक्त सम्पत्ति का हिस्सा है। मैंपादी बंटवारा के कारण उभय पक्षों को मिले विभिन्न plots के हिस्से की भूमि/हिस्से के अंश की भूमि स्पष्ट परिभाषित नहीं है जिसके कारण दखल विवाद प्रतीत होता है। विवादी भूमि पर उभय पक्ष अपने हित में दखल का दावा करते हैं जबकि गवाहों के बयान से स्पष्ट प्रमाणित नहीं हो सके हैं। साथ ही अंचलाधिकारी तमाड़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में दोनों पक्षों के दखल की बात वर्णित है। साथ ही उभय पक्षों के बीच संयुक्त सम्पत्ति से संबंधित दायर बंटवारा वाद सं 25/2017 सक्षम सिविल न्यायालय, रांची में विचाराधीन है। तदनुसार उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्रस्तुत वाद में कोई निर्णय पारित करना यथोचित नहीं होगा तथा बिना किसी प्रभावी आदेश के प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
09/11/17
कार्यपालक दंडाधिकारी, बुन्डु (रांची)

09/11/17
कार्यपालक दंडाधिकारी
बुन्डु (रांची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 14:56:14 +05:30
Location: 10.93.79.10